न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 87/2021 (2021/352) वाद पत्र

अनवान

1—शंकरलाल पिता भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2—चान्दमल पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः—29/12/2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दिनांक 06.01.1997 को बंशीलाल पिता किशोर ब्राहम्ण निवासी पनोतिया हाल मुकाम घोड़ास तहसील माण्डल से ग्राम पनोतिया की साबिक आराजी संख्या 4 व 9 में से 7 बीघा 10 बिस्वा आराजी संख्या 930/3 मे से रकबा 16 बीघा कुल 23 बीघा 10 बिस्वा जमीन विक्रय के ऐवज में 500 रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया व विक्रयपत्र का पंजीयन भी करवाया तब से उक्त भूमि पर हमारा ही कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि पूर्व में खातेदार गेंदी बेवा प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी पनोतिया के नाम दर्ज रेकार्ड थी उक्त भूमि की व गेंदी की सम्पूर्ण भूमियां व राकड़ काकड़ सहित गेंदी ने बक्सीस नामे में दिनांक 06.07.1945 को बंशीलाल पिता किशोर के पक्ष में स्टाम्प पर लिख कर दे दिया लेकिन गेंदी की मृत्यु के बाद उक्त चिन्हीत भूमि को बिलानाम सरकार गलत तरह से दर्ज कर दिया गया जबकि जरिये बक्सीस नामे में उक्त भूमियां बंशीलाल व बिकाव से बंशीलाल के बाद प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी। साबिक आराजियात के बाद आराजी संख्या 1720, 1721 व 118 पर उस वक्त से ही प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त वर्णित साबिक भूमियो के नवीन आराजी संख्या 118 रकबा 1.25 है0, 1720 रकबा 0.20 है0, 1721 रकबा 1.45 है0 भूमियो को प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने की कृपा करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को मूल ही प्रार्थना पत्र भेज कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब के रूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब एवं मौका स्थिति के रूप में रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली है तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम पनोतिया की आराजी संख्या 118, 1720, 1721 का मौका निरीक्षण किया गया उक्त आराजियात के चारो तरफ थोहर की बाड़ लगाकर शंकरलाल पिता भैरूलाल ब्राहम्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:47:44 IST
Reason: SelfAttested

का 1/2 व चान्दमल पिता उंकार लाल ब्राहम्ण का 1/2 हिस्से पर कब्जा है। साबिक आराजी संख्या 9 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा एवं साबिक आराजी संख्या 930/3 रकबा 16 बिघा कुल 23 बिस्वा 10 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.07.1967 से शंकरलाल, उकांरलाल पिता भैरा ब्राहम्ण के द्वारा संयुक्त रूप से श्री बंशीलाल पिता किशोर ब्राहम्ण से क्रय की गई है। जिसके नवीन आराजी नम्बर अन्य आराजियात के साथ आराजी संख्या 118 रकबा 1.25 है0 व आराजी संख्या 1720 रकबा 0.20 है0 व 1721 रकबा 1.45 है0 कायम किये गये। साबिक आराजी संख्या 9 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, साबिक आराजी संख्या 930/3 रकबा 12 बीघा भूमि जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 में खाता संख्या 30 पर गेंदी बेवा प्रताप ब्राहम्ण के नाम दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार गेंदी बेवा प्रताप ब्राहम्ण द्वारा बंशीलाल पिता किशोर ब्राहम्ण को अपना दत्तक पुत्र लिया गया जिससे जरिये बक्सीस के उक्त भूमि का मालिक बंशीलाल हुआ और बंशीलाल के द्वारा वादीगणो को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय की गई। साबिक आराजियात वादीगण के नाम दर्ज नही कर क्रय शुदा भूमि को बिलानाम दर्ज कर दी जबकि वादीगणो का मौके पर कब्जा वक्त क्रय दिनांक 06.01.1967 से निरन्तर चला आ रहा है।

वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में श्री चान्दमल पिता उंकारलाल शर्मा निवासी पनोतिया, सोहनलाल पिता बालुराम शर्मा निवासी पनोतिया, भैरूलाल पिता नानुराम ब्राहम्ण निवासी पनोतिया के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली किये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबिक जमाबन्दी 2013 से 2016 जो प्रदर्श 1 है, रजिस्टर्ड बक्सीसनामा दिनांक 06.07.1945 जो प्रदर्श 2 है, नामान्तकरण संख्या 743 जो प्रदर्श 3 है, मिलान क्षेत्रफल जो प्रदर्श 4 है, विक्रय पत्र जो प्रदर्श 5 है, मिलान क्षेत्रफल जो प्रदर्श 6, साबिक जमाबन्दी 2035 से 2038 जो प्रदर्श 7 है, साबिक जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 जो प्रदर्श 8 है एवं पी 14 की नकले प्रस्तुत की जो प्रदर्श 11 है, सेन्टलमेन्ट डिपार्टमेन्ट की पानड़ी पेश की जो प्रदर्श 12 से 15 है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड पर मनन करने से पाया कि साबिक आराजी संख्या 9 रकबा 7 बिघा 10 बिस्वा एवं आराजी संख्या 930/3 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा भूमि गेन्दी बेवा प्रताप ब्राहम्ण सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। गेन्दी के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के भूमि दिनांक 06.07.1945 को श्री बंशीलाल वल्द किशोर जी ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर को बक्सीस की गई जिसके बाद श्री बंशीलाल बक्सीस ग्रहिता के द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1967 को उंकार, शंकरलाल पिता भैरा ब्राहम्ण निवासी पनोतिया को वाद वर्णित भूमि विक्रय की गई है। क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण वादीगण क्रेता के पक्ष में नही होकर उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई किन्तु भूमि पर क्रेता वादीगण के पूर्वजो के समय से एवं वादीगणों का कब्जा चला आ रहा है। मूल रूप से भूमि खातेदार गेन्दी बाई की थी और गेन्दी बाई के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बक्शीस नामे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:47:44 IST
Reason: SelfAttested

भूमि विक्रेता बंशीलाल के हक में दी गई, भूमि बंशीलाल के स्वामित्व में आने के बाद बक्शीस ग्रहिता बंशीलाल के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1967 के वादीगण के पूर्वजो को भूमि विक्रय की गई है, वादीगण रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 30.01.1967 से काबिज है। इसी बात की ताहिद तहसीलदार रायपुर द्वारा भी की गई है कि वादी क्रेतागण निर्विवाद रूप से क्रय शुदा भूमि पर क्रय दिनांक 30.01.1967 से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। मात्र वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण की कार्यवाही नही होने से एवं वादीगण द्वारा सही समय पर उचित कार्यवाही के अभाव में भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई जबकि मूल रूप से वादवर्णित भूमि वादीगण की क्रयशुदा भूमि है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 118 रकबा 1.25 है0, आराजी संख्या 1720 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 1721 रकबा 1.45 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:47:44 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 87/2021 (2021/352) वाद पत्र

अनवान

1–शंकरलाल पिता भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–चान्दमल पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 118 रकबा 1.25 है0, आराजी संख्या 1720 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 1721 रकबा 1.45 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 29.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

29.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:47:44 IST
Reason: SelfAttested